राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 116 / 2009

डॉ मीरा सिंघल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सी स्कीम, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।

– प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण दिनांक : 22.09.2023
आदेश की दिनांक : 18.04.2024

उपस्थित

अपीलार्थी की ओर से : श्री भूपेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा आलोच्य पदोन्नति आदेश दिनांक 11.06.2009 जिसके द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग) के पद पर वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है उसे अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्ष 2003–04 के रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग) के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान करने और जिस तिथि से उनसे कनिष्ठ श्री राम गोपाल जैतवाल को वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, अपीलार्थी को पदोन्नति के समस्त परिलाभ प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।
2. हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना एव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन एवं मनन किया।
3. पत्रावली पर दिनांक 01.04.2002 के संदर्भ में जारी कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग) की प्रोवीजनल वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक–2) में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 17 पर एवं श्री राम गोपाल जैतवाल का नाम क्रम संख्या 19 पर अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 17.08.2004 को वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग) के पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर जारी पदोन्नति आदेश (अनुलग्नक–3) में श्री राम गोपाल जैतवाल को वर्ष 2003–04 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है। इस पदोन्नति आदेश में

अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं होना पाया जाता है। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में पत्राचार करने पर प्रत्यर्थी विभाग पत्र दिनांक 01.12.2004 (अनुलग्नक–5) द्वारा सूचित किया गया है कि अपीलार्थी की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है, उन्हे भिजवाने की कार्यवाही की जावे। पत्रावली पर उपलब्ध संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर पत्र दिनांक 13.01.2005 (अनुलग्नक–6) से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के वर्ष 1995–96 से वर्ष 2003–04 तक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कार्यवाही हेतु अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर को प्रेषित किए गए है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग से अपनी पदोन्नति हेतु लगातार पत्राचार किया जाता रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 16.06.2009 (अनुलग्नक–14) द्वारा वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग) के पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई है।

4. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अवगत करवाया कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2005–06 के विरूद्ध वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग) के पद पर पदोन्नति दी गई। इस पदोन्नति को अपीलार्थी द्वारा त्याग दिया गया। साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी ने दिनांक 01.03.2010 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर ली है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. उभय पक्ष के तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ श्री राम गोपाल जैतवाल को वर्ष 2003–04 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलार्थी की पदोन्नति इस आधार पर नहीं की गई, क्योंकि उसकी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुपलब्ध थे। कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति हेतु जारी दिशा–निर्देशों में यह स्पष्ट है कि यदि किसी लोक सेवक का रिकॉर्ड अपूर्ण है तो एक पद रिक्त रखा जाकर पदोन्नति कार्यवाही सम्पन्न की जावे। उक्त समस्त तथ्यों के आलोक में अपील इस हद तक स्वीकार की जाती है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में नियमानुसार वर्ष 2003–04 हेतु रिव्यू डीपीसी कार्यवाही सम्पादित की जावे और सेवाभिलेख एवं वरिष्ठता के आधार पर यदि अपीलार्थी को वर्ष 2003–04 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु पात्र पाया जाता है तो उसको नियमानुसार आवश्यक पदोन्नति प्रदान करने हेतु कार्यवाही की जावे। प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देश दिया जाता है कि उक्त समस्त कार्यवाही 06 माह की अवधि में सुनिश्चित की जावे।

6. आदेश आज दिनांक 18.04.2024 हमारे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित किया जाकर अपील निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य